[illegible]

8/9/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के नोटिस की तामील रिपोर्ट पुर्व में प्राप्त। बार-2 आवाज लगवाई गई। बावजुद सुचना अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई ~~[illegible]~~ जाती है। बहस सुनी गई। वकील वादी को प्रा.पत्र प्रुव करने हेतु निर्देशित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकृत किया जाता है। इस आशय का आदेश अलग से टंकित कराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... अहकाम... हुक्म की... में जारी...
[illegible]	गया। पत्रावली का निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर दे जमा हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्मनामा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

दिनांक 08.09.2021

मिसल नम्बर-12/2021प्रा0प0

1. बद्रीलाल पिता शंकरलाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. सेहनलाल पिता शंकरलाल जी जाति ब्राहम्ण, उम्र वयस्क, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

--विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

वास्ते

तहसीलदार

भदेसर

उपरोक्त उनवानित प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा, तहसील भदेसर की वर्ष 2066 से 2069 की साबिक जमाबंदी में अंकित साबिक खाता संख्या 190 पर दर्ज साबिक आ.नं. 579/2क रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आ.नं. 751 रकबा 0.29 हैक्टर के साबिक नक्शे अनुसार साबिक आ0नं0 579/2ख के दक्षिणी दिशा से कुछ हिस्सा छोडकर दक्षिणी-पूर्वी छोर पर पूर्व में नक्शे में तरमीम अनुसार पुनः तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया। Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रा0प0 संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
12/2021	05.07.2021	08.09.2021

1. बद्रीलाल पिता शंकरलाल जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. सेहनलाल पिता शंकरलाल जी जाति ब्राह्म्ण, उम्र वयस्क, निवासी आसावरा, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

––विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ओर से भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी, आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा, तहसील भदेसर की वर्ष 2066 से 2069 की साबिक जमाबंदी में अंकित साबिक खाता संख्या 190 पर दर्ज साबिक आ.नं. 579/2क रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि को प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बिकाव से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार खेती करते चले आ रहे है। साक्ष्य में साबिक नकल जमाबंदी एवं नवीन जमाबंदी मिलान क्षैत्रफल एवं नक्शा ट्रेस साबिक एवं नवीन संलग्न प्रार्थना पत्र है। तहसील भदेसर का वर्ष 2010–11 में भूप्रबंध किया गया, दौराने भूप्रबंध राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के साबिक आ.नं. 579/2क रकबा 1 बीघा 7 के नवीन आ.नं. 751 रकबा 0.29 हैक्टर बना कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये लेकिन राजस्व कर्मचारी को सेटलमेंट के दौरान पुरानी प्रविष्टि को ही आगे दोहराने का अधिकार होता है परन्तु सेटलमेंट कर्मचारियों ने अपने अधिकार [illegible] से परे जाकर प्रार्थीगण की आराजीयात के नक्शे में परिवर्तन [illegible] प्रार्थीगण की आराजीयात को साबिक नक्शे अनुसार दर्ज नहीं कर [illegible] प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात, साबिक आ.नं. 579/2 ख के दक्षिणी [illegible] दिशा से कुछ हिस्सा छोड कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:35:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

दक्षिणी-पूर्वी छोर पर नक्शे में तरमीम थी जिसको जिसको हटा कर साबिक आ.नं. 579/1 के उत्तरी दक्षिणी छोर पर प्रार्थीगण की आराजीयात को नक्शे में दर्शा दिया। जबकि प्रार्थीगण वर्तमान में भी साबिक नक्शे अनुसार साबिक आ.नं. 569/2ख के दक्षिणी पूर्वी छोर पर काबिज होकर बिना विवाद के उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नक्शे में की गई उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थीगण को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड रहा है तथा नक्शे में त्रुटि होने से राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की प्राप्ति में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नवीन नक्शे में की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की आराजीयात को नवीन नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने एवं प्रार्थीगण खातेदार उपरोक्त नक्शा ट्रेस में हुई गंभीर त्रुटि को सही दुरूस्त कर शुद्धिकरण कराने के कानूनी अधिकारी होने से प्रा0प0 नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश है। प्रार्थीगण खातेदार के कब्जेशुदा भूमि की जमाबंदी एवं जमाबंदी भू प्रबंधक विभाग की प्रमाणित प्रति पटवार हल्का से दिनांक 29.06.2021 को प्राप्त करने पर नक्शे में अशुद्धि का अंकन होने की जानकारी हुई तब से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण खातेदार की ग्राम आसावरा तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक आ.नं. 579/2क रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आ.नं. 751 रकबा 0.29 हैक्टर कृषि भूमि को साबिक नक्शे अनुसार साबिक आ.नं. 579/2ख के दक्षीणी दिशा से कुछ हिस्सा छोड कर दक्षिणी-पूर्वी छोर पर पूर्व में नक्शे में तरमीम थी वहीं पुनः तरमीम किया जाकर नक्शा दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रा0प0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये।

1. नकल जमाबन्दी मौजा आसावरा खाता संख्या 442 संवत् 2076
2. खसरा नक्शा खसरा सं. 750
3. खसरा नक्शा खसरा सं. 751
4. नक्शा ट्रेस मौजा आसावरा
5. मिलान क्षैत्रफल ग्राम आसावरा खसरा सं. 751
6. साबिक नकल जमाबंदी मौजा आसावरा खाता सं. 190 संवत् 2066-2069

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:43 IST
Reason: SelfAttested

लायक अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

के साबिक आ.नं. 579/2 ख के दक्षिणी दिशा से कुछ हिस्सा छोड कर दक्षिणी–पूर्वी छोर पर नक्शे में तरमीम थी जिसे प्रार्थीगण अपने नवीन नक्शे को साबिक नक्शे अनुसार ही तरमीम कराने की अधिकारी है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस सुनी गई । प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की आराजीयात जिसका नक्शा पुर्वानुसार नक्शे से गलत तरमीम कर दिया जो पुनः शुद्धि से दुरूस्त किया जाकर पूर्वानुसार तरमीम किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज ग्राम आसावरा पटवार हल्का आसावरा, तहसील भदेसर की वर्ष 2066 से 2069 की साबिक जमाबंदी में अंकित साबिक खाता संख्या 190 पर दर्ज साबिक आ.नं. 579/2क रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आ.नं. 751 रकबा 0.29 हैक्टर के साबिक नक्शे अनुसार साबिक आर0न0 579/2ख के दक्षिणी दिशा से कुछ हिस्सा छोडकर दक्षिणी–पूर्वी छोर पर पूर्व में नक्शे में तरमीम अनुसार पुनः तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner